AAWAJ

वार्षिक रिपोर्ट (2023-24)

आवाज जनकल्याण समिति

ई-8/172, भरत नगर, अरेरा
कॉलोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश

www.aawaj.org

aawajmp@gmail.com

अनुक्रमणिका

विषय	प. सं.
प्रस्तावना	1-2
आवाज- एक परिचय	3-5
1 बाल संरक्षण- आवाज की मूल प्रतिबद्धता i. युवा नेतृत्व और बाल-संरक्षण पर आवाज की राज्य स्तरीय पहल ii. आगाज़ 3.0 किशोर, युवा, एवं बाल-संरक्षण इंटर्नशिप 2023 iii. बाल संरक्षण एवं मुक्ति अभियान	6-11
2 बाल दुर्व्यापार के विरुद्ध आवाज का हस्तक्षेप i. मदारी टोला, कटनी : बदलाव की एक शुरुआत ii. पीसीपीसी महासम्मेलन बाल संरक्षण के प्रति सामूहिक समर्पण iii. 'मैं हूं अभिमन्यु' अभियान	12-18
3 कोविड रिस्पॉन्स	19-21
4 पूर्व प्राथमिक पोषण और शिक्षा परियोजना और एक समेकित हस्तक्षेप	22-24
उपलब्धियां	25-26
हमारे सहयोगी	27
प्रेस कतरन	28-29

प्रस्तावना

एक साझा संकल्प से संजोई गई दिशा....

बाल संरक्षण केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि समाज की आत्मा में रची-बसी वह जिम्मेदारी है, जो हर बच्चे की गरिमा, सुरक्षा और संभावनाओं को संरक्षित रखने की पुकार करती है। आवाज जनकल्याण समिति की स्थापना इसी भरोसे के साथ हुई थी — कि जब तक समाज के सबसे कमजोर और सबसे मासूम हिस्से यानी बच्चों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा नहीं है, तब तक कोई भी प्रगति अधूरी है।

वर्ष 2023-24 में आवाज द्वारा मध्यप्रदेश के विविध जिलों और समुदायों में जो हस्तक्षेप किए गए, वे केवल कार्यक्रम या परियोजना नहीं थे। वे साझा संकल्प, संवाद और सहभागिता की ऐसी कड़ी हैं, जिसने हजारों बच्चों, किशोरों, युवाओं, माताओं और समुदायों को छुआ, जो अब तक अक्सर हाशिए पर रहे थे।

चाहे वह आगाज़ इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं को बाल संरक्षण का नेतृत्व सौंपने की प्रक्रिया हो, या फिर PCPC महासम्मेलन के ज़रिए पंचायत स्तर की संरचनाओं को संवेदनशील और सक्रिय बनाने का प्रयास — हर पहल में साझेदारी, नवाचार और जमीनी संलग्नता स्पष्ट दिखाई देती है।

बाल दुर्व्यापार के विरुद्ध परवाह और सजग परियोजनाओं के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण अंचलों और संवेदनशील पारगमन बिंदुओं पर कार्य कर आवाज ने यह साबित किया कि जब स्थानीय समुदायों को जागरूकता, संरचना और संवाद का मंच मिलता है, तो वे स्वयं अपने बच्चों की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं।

कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में भी आवाज ने अहम भूमिका निभाई। 'कवच' जैसी पहल — जहाँ भोपाल के 13 प्रभावित परिवारों को उनकी परिस्थितियों के अनुरूप कार्य सामग्री देकर स्वरोज़गार की राह दिखाई गई — इस बात का प्रमाण हैं कि राहत केवल सहायता से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ पुनर्निर्माण से आती है।

बालाघाट के चार गाँवों में शुरू की गई पूर्व-प्राथमिक पोषण और शिक्षा परियोजना ने यह दिखाया कि यदि बुनियादी पोषण और शैक्षिक संसाधन सही तरीके से और स्थानीय सहभागिता के साथ पहुँचते हैं, तो बच्चों के जीवन में गहरा बदलाव संभव है।

'मैं हूँ अभिमन्यु', बाल संरक्षण सप्ताह, मदारी टोला केंद्र में समुदाय या NSS के साथ चलाये गए संवाद हों — सभी ने यह दिखाया कि जब बच्चों और युवाओं को अपनी बात कहने, नेतृत्व करने और बदलाव लाने का अवसर मिलता है, तो वे समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं।

इस रिपोर्ट को हम केवल आँकड़ों या गतिविधियों की सूची की तरह नहीं देखते, बल्कि यह हमारे साझा विश्वास, प्रतिबद्धता और समर्पण का साक्ष्य है। इसमें हर कहानी, हर गाँव, हर मंचन और हर संवाद उस व्यापक प्रयास की गवाही है, जिसे हमने साझेदारी और विश्वास के साथ

आगे बढ़ाया।

यह सफर अभी अधूरा है। लेकिन यह भी सच है कि हर एक कदम, चाहे वह जितना भी छोटा क्यों न हो, एक बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है। हमारी यह रिपोर्ट उसी दिशा में उठाए गए कुछ ठोस और सार्थक कदमों का दस्तावेज़ है — और साथ ही आने वाले कल के लिए एक नई शुरुआत का निमंत्रण भी।

हम आभारी हैं उन सभी भागीदारों, समुदायों, सरकारी विभागों, स्वयंसेवकों और सहयोगी संगठनों के, जिन्होंने इस यात्रा को संभव और प्रभावशाली बनाया।

प्रशांत दुबे

निदेशक, आवाज जनकल्याण समिति

AAWAJ

आवाज-एक परिचय

आवाज का उद्देश्य एक ऐसे न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करना है जहाँ हाशिए पर रह रहे, गरीब और गरीबी की दहलीज पर खड़े समुदाय अपने अधिकारों को जान सकें, उन्हें हासिल कर सकें और गरिमामय जीवन जी सकें। हमारी कोशिश है कि समाज के ऐसे वंचित तबके शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकार प्राप्त करें, और इस पूरी प्रक्रिया में सहभागिता, सामूहिक निर्णय और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए।

आवाज का मूल विचार है कि बदलाव थोपने से नहीं आता, बल्कि समुदायों के साथ मिलकर काम करने और उनके भीतर जागरूकता व आत्मविश्वास जगाने से आता है। हम मानते हैं कि जब लोग स्वयं अपनी समस्याओं को समझकर समाधान खोजते हैं, तभी स्थायी परिवर्तन संभव होता है। इसलिए हम न केवल मुद्दों की गहराई से समझ विकसित करते हैं, बल्कि समुदायों को भी इस लायक बनाते हैं कि वे अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सकें।

हमारा काम कई स्तरों पर चलता है – मुद्दों की समझ विकसित करने से लेकर समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने तक। हम विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि वे इनका लाभ स्वतंत्र रूप से उठा सकें।

विजन

“एक ऐसा न्यायपूर्ण और समानता आधारित समाज बनाना जिसमें गरीब, वंचित और गरीबी की कगार पर खड़े लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल कर सकें और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।”

मिशन

“हाशिए पर मौजूद समुदायों को उनके मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक हक़ों के प्रति जागरूक बनाना, उन्हें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माध्यमों से इन तक पहुँचने में सक्षम बनाना, और इस पूरी प्रक्रिया में सामूहिकता, भागीदारी और संबंधित पक्षों की साझा समझ को सुनिश्चित करना।”

प्रमुख उद्देश्य-

- संविधान में निहित अधिकारों की जानकारी समाज के वंचित वर्गों तक पहुँचाना और उन्हें उनका प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना।
- युवाओं में सक्रिय नागरिकता की भावना का विकास कर उन्हें सुशासन की प्रक्रिया में सहभागी बनाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व रोज़गार जैसे बुनियादी अधिकारों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- बाल अधिकारों को लागू करने की दिशा में काम करना और बाल दुर्व्यापार (बाल तस्करी) जैसी गम्भीर समस्याओं से निपटना।

- किशोरों व युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नेतृत्व, सहभागिता और कौशल निर्माण पर विशेष ध्यान देना।

- लैंगिक भेदभाव, असमानता और उससे जुड़े सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करना और समाज में बराबरी की सोच को बढ़ावा देना।

रणनीतियाँ

1. ज़मीनी कार्यान्वयन: हम मानते हैं कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन की नींव जमीनी स्तर पर ही रखी जाती है। यदि समुदाय से जुड़कर कार्य न किया जाए तो केवल लोगों को जागरूक करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। हमारी रणनीति यही है कि हम पहले समुदाय की भागीदारी और ज़रूरत को समझें और फिर नीति-स्तर पर प्रभाव डालने का प्रयास करें।

2. प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन: हम विभिन्न स्तरों पर—चाहे वह समुदाय हो या नीति-निर्माता—सभी के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारा मानना है कि जब तक समुदाय और उससे जुड़े हितधारक प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता।

3. समन्वय और साझेदारी: बाल संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर काम करने वाले सरकारी विभागों के साथ हमारा लगातार संवाद रहता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उठाने के साथ-साथ हम उनका समाधान खोजने में भागीदार रहते हैं।

4. नेटवर्किंग: नीति-स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए केवल एक संस्था पर्याप्त नहीं होती। इसलिए हम मुद्दा-आधारित नेटवर्किंग को प्राथमिकता देते हैं, जिससे एकजुट होकर प्रभावशाली हस्तक्षेप किए जा सकें।

5. जनजागरुकता अभियान: हम हमेशा यह मानते हैं कि निरंतर और योजनाबद्ध अभियान किसी भी मुद्दे पर जन-जागरूकता बढ़ाने का प्रभावशाली माध्यम होते हैं। नुक्कड़ नाटक, रैलियाँ, पोस्टर प्रतियोगिताएँ और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से हम जनभागीदारी को प्रेरित करते हैं।

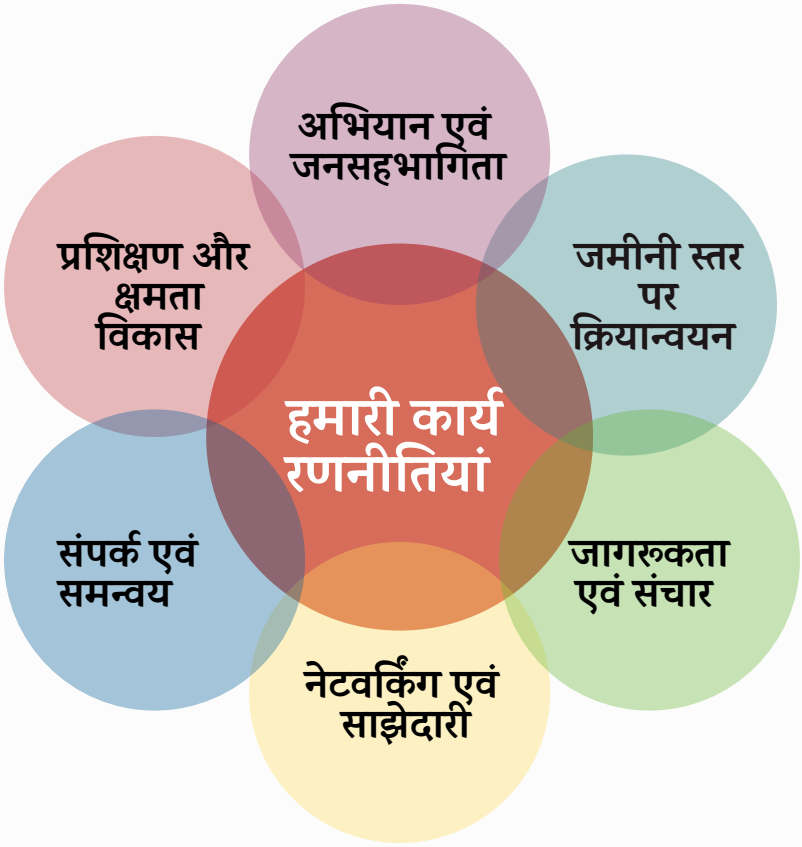

कार्य क्षेत्र (Coverage)

आवाज मध्यप्रदेश राज्य में सक्रिय है और विभिन्न जिलों में बच्चों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कार्य कर रही है। वर्तमान में हम भोपाल में अधिक सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के सहयोग से मध्यप्रदेश के 16 जिलों में युवाओं को बाल संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षित कर उनके नेतृत्व को विकसित किया गया है। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश के अधिकतर जिलों में विस्तार करते हुए बाल अधिकार और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य किया जाए|

---

1. बाल संरक्षण: आवाज की मूल प्रतिबद्धता

आवाज की नींव ही बच्चों की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा के विचार पर रखी गई थी। हमारी शुरुआत से लेकर आज तक, बाल संरक्षण हमारे काम का केन्द्रीय हिस्सा रहा है। हम मानते हैं कि जब तक बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तब तक समाज की कोई भी प्रगति अधूरी है।

हम बच्चों के विरुद्ध होने वाले हर प्रकार के हिंसा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं—चाहे वह बाल दुर्व्यापार (trafficking) हो, यौन हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति में धकेलना या फिर किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना।

हमारा कार्य दो स्तरों पर चलता है-

एक ओर, हम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते हैं—जैसे कि पीड़ित बच्चों का रेस्क्यू, उन्हें सुरक्षित वातावरण में पहुँचाना और पुनर्वास की दिशा में काम करना। दूसरी ओर, हम जनजागरूकता, प्रशिक्षण और नीति संवाद के ज़रिए दीर्घकालिक परिवर्तन की नींव रखते हैं।

हम युवाओं को बाल अधिकारों के रक्षक के रूप में तैयार कर रहे हैं, ताकि वे अपने समुदायों में बदलाव के वाहक बन सकें। इसी सोच के तहत हम मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में "बाल संरक्षण हेतु युवा नेतृत्व" (Youth as Champions for Child Protection) नामक कार्यक्रम चला रहे हैं। यह कार्यक्रम आवाज, यूनिसेफ़ और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के सहयोग से उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से हमने सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें बाल संरक्षण के मुद्दों पर संवाद, हस्तक्षेप और नेतृत्व के लिए तैयार किया है।

साथ ही, हम बाल अधिकारों पर कार्यरत सरकारी तंत्रों, जैसे कि बाल कल्याण समिति (CWC), बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस विभाग और अन्य संस्थानों को भी नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ताकि वे संवेदनशील और सक्षम ढंग से बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। हमारा मानना है कि बच्चों की सुरक्षा केवल नीति या कानून का विषय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक चेतना और साझा जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको मिलकर निभाना है।

1.1 युवा नेतृत्व और बाल संरक्षण पर AAWAJ की राज्यस्तरीय पहल (2023-24)

आवाज ने वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश में बाल संरक्षण और लैंगिक न्याय के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को केन्द्र में रखकर एक समावेशी और परिवर्तनकारी कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को बाल अधिकारों, लैंगिक हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक मर्दानगी और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूक, नेतृत्वक्षम और परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में तैयार करना था।

इस प्रयास के केंद्र में रहा – NSS, Youth Champions, और Child Protection (CP) क्लबों का सशक्त नेटवर्क, जिसके माध्यम से राज्यभर में युवाओं को प्रशिक्षित कर जमीनी स्तर पर सामाजिक चेतना विकसित की गई।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- राज्य एवं विश्वविद्यालय स्तर के NSS अधिकारियों को बाल संरक्षण और लैंगिक न्याय पर प्रशिक्षित किया गया, जिससे उनकी संवेदनशीलता और सक्रियता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया|
- 350 कॉलेजों में सक्रिय CP क्लबों के माध्यम से लगभग 60,000 विद्यार्थियों ने जागरूकता कार्यक्रमों में भागीदारी की|
- इन क्लबों द्वारा EVAC, ECM, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पॉज़िटिव मस्क्युलिनिटी और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे विषयों पर संवाद, प्रशिक्षण, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, रैलियाँ आदि आयोजित किए गए|
- "Child Rights Week" और "Abhimanyu Abhiyan" (मप्र पुलिस के साथ साझेदारी में) के तहत राज्यभर में 400 नुक्कड़ नाटक, 70 रैलियाँ और पोस्टर अभियान चलाए गए, जिनकी ऑनलाइन पहुँच 6.6 लाख और ऑफलाइन पहुँच 11.49 लाख रही|
- AAGAZ 3.0 इंटर्नशिप के अंतर्गत 100 युवाओं का चयन किया गया, जिन्होंने 2278 गतिविधियाँ संचालित कीं – जिसमें 900+ पोस्टर, 34 शॉर्ट फिल्में और सैकड़ों सामुदायिक कार्यक्रम शामिल रहे|
- युवाओं ने बेड़िया समुदाय जैसे संवेदनशील समुदायों में पहुँचकर पोषण, संरक्षण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप किए, जो सामाजिक समावेश की दिशा में एक प्रभावशाली पहल रही|

1.2 लैंगिक रूपांतरणात्मक कार्यप्रणाली और नेतृत्व विकास:

- NSS के जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए पितृसत्ता विरोधी रणनीतियों पर विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की गईं|
- जनजातीय युवाओं के लिए 2-दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिसमें EVAC, GBV और ऑनलाइन सुरक्षा पर संवाद हुआ|
- जनजातीय क्षेत्रों में "समर्थ" समूहों का गठन कर स्थानीय नेतृत्व को उभारा गया|
- "मुक्ति पखवाड़ा" के तहत NSS व AAGAZ इंटर्न्स द्वारा 21 जिलों में पोस्टर, रंगोली, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक जैसे रचनात्मक अभियान चलाए गए|

प्रभाव और सीख:

- युवाओं को जब नेतृत्व, निर्णय और मंच मिलता है, वे सामुदायिक बदलाव के प्रभावशाली वाहक बनते हैं।
- CP और GBV जैसे संवेदनशील विषयों पर NSS अधिकारियों, युवाओं और समुदायों को प्रशिक्षित और सशक्त बनाकर एक दीर्घकालिक सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है।
- **रचनात्मक व सांस्कृतिक विधाओं** जैसे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से गहरी जनभागीदारी संभव होती है।
- **सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे UNICEF, NSS)** के साथ सशक्त साझेदारी ने कार्यक्रम की पहुँच और प्रभाव को कई गुना बढ़ाया।

वर्ष 2023-24 में **आवाज** ने युवाओं को बाल संरक्षण और लैंगिक समानता के प्रश्नों पर नेतृत्व देने के साथ-साथ पूरे राज्य में एक नई चेतना को जन्म दिया। CP क्लबों, NSS और AAGAZ जैसे माध्यमों से एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिसे राज्य और अन्य संस्थानों द्वारा दोहराया जा सकता है।

यह स्पष्ट हुआ कि जब युवा शिक्षित, प्रेरित और संगठित होते हैं, तो वे न केवल अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं।

1.3 आगाज़ 3.0 – किशोर एवं युवा बाल संरक्षण इंटर्नशिप 2023 Voices for Child Protection

आगाज़ 3.0 मध्यप्रदेश के 45 ज़िलों में 125 युवाओं की भागीदारी से संचालित एक अभिनव और सशक्त इंटर्नशिप कार्यक्रम रहा, जिसका उद्देश्य युवाओं को बाल संरक्षण की दिशा में जागरूक, सक्षम और सक्रिय बनाना था। इस इंटर्नशिप की शुरुआत तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई थी।

युवाओं को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल दुर्व्यापार, यौन हिंसा, जेजे अधिनियम, पोक्सो एक्ट और लैंगिक हिंसा जैसे मुद्दों पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। इन युवाओं ने स्कूलों, कॉलेजों, शहरी बस्तियों और हाशिए पर रह रहे समुदायों में नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, डिजिटल अभियान, पोस्टर, रील्स, रेडियो कार्यक्रम और पिथोरा कला जैसे रचनात्मक माध्यमों से 1.14 लाख लोगों तक ऑफलाइन और 6.6 लाख लोगों तक ऑनलाइन पहुँच बनाई।

इंटर्न्स ने Suraksha Sathi App, लघु फिल्म प्रतियोगिता, सीपी क्लब की स्थापना, बाल संरक्षण सप्ताह और मुक्ति अभियान जैसे नवाचारों में भाग लिया। कई इंटर्न्स ने बाल विवाह रोका, मानव दुर्व्यापार में हस्तक्षेप किया और न्यायालय व पुलिस से समन्वय किया।

आगाज़ 3.0 केवल एक इंटर्नशिप नहीं, बल्कि युवाओं की सहभागिता के माध्यम से बाल संरक्षण की दिशा में निरंतर और प्रभावी पहल है, जिसने युवाओं को बाल अधिकारों की समझ और उनके संरक्षण की प्रक्रिया से जोड़ा है।

विभिन्न गतिविधियों के दौरान आगाज़ इंटर्न साथी

1.4 बाल संरक्षण सप्ताह एवं मुक्ति अभियान

हर साल बाल अधिकार सप्ताह के अवसर पर हम राज्य-स्तर पर "बाल संरक्षण सप्ताह" नामक एक विशेष अभियान चलाते हैं, जो बच्चों की आवाज और उनकी भागीदारी को केंद्र में रखता है। यह अभियान विगत पांच वर्षों से निरंतर चल रहा है। सप्ताह के सातों दिन विभिन्न विषयों पर आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं जिनका उद्देश्य है – बच्चों को सुनना, समझना और उनके सुझावों को नीति नियंताओं तक पहुँचाना।

यह अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संचालित किया गया, जिसमें बाल प्रतिनिधि, छात्र इंटर्न्स और किशोर क्लब के सदस्य प्रमुख भूमिका में रहे। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों ने खुद अपने अनुभव साझा किए, छोटे वीडियो बनाए, और बाल अधिकारों पर आधारित पोस्टर व स्लोगन तैयार 6.6 लाख लोगों तक पहुँच बनाई।

वहीं ऑफलाइन मोड में 400 नुक्कड़ नाटक, 70 रैलियाँ और बाल संवाद बैठकें, पोस्टकार्ड अभियान, खेल आधारित चर्चा, बाल चौपाल, बाल कलाकारों द्वारा चित्र प्रदर्शनी, और स्थानीय पंचायतों में बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से लगभग 11.49 लाख लोगों तक सीधी पहुँच बनाई।

इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को लेकर भी “मुक्ति अभियान” संचालित किया गया| इसकी भी रीच बहुत ज्यादा रही| इसकी ऑनलाइन रीच **11.1** हजार लोगों तक जबकि ऑफलाइन रीच **21,000** लोगों तक रही|

हर साल इन दोनों अभियानों की पहुँच और प्रभावशीलता बढ़ रही है, और यह स्पष्ट संकेत है कि जब बच्चों को बोलने और नेतृत्व करने का अवसर मिलता है, तो वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होते हैं।

मुक्ति
आवाज
घरेलू हिंसा अपराध है, इसे रोकें
बाल एवं महिला हिंसा विरोधी अभियान
UNITE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
#Genderequityinitiatives2k23 | #NoExcuse | #16Days
मुक्ति
आवाज
सार्वजनिक परिवहन साधनों में महिला हिंसा
साथ दें, हिंसा रोकें
बाल एवं महिला हिंसा विरोधी अभियान
UNITE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
#Genderequityinitiatives2k23 | #NoExcuse | #16Days
मुक्ति
आवाज
बाल विवाह अपराध है, इसे रोकें
बाल एवं महिला हिंसा विरोधी अभियान
UNITE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
#Genderequityinitiatives2k23 | #NoExcuse | #16Days
मुक्ति
आवाज
लिंग चयन अपराध है, इसे रोकें
बाल एवं महिला हिंसा विरोधी अभियान
UNITE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
#Genderequityinitiatives2k23 | #NoExcuse | #16Days
मुक्ति
आवाज
महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध रोकें।
बाल एवं महिला हिंसा विरोधी अभियान
UNITE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
#Genderequityinitiatives2k23 | #NoExcuse | #16Days
मुक्ति
आवाज
सतत विकास लक्ष्य (SDG) वर्ष 2015 में
संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाये गये थे। इन 17 लक्ष्यों में
5वां लक्ष्य लैंगिक समानता से संबंधित है।
UNITE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
#Genderequityinitiatives2k23 | #NoExcuse | #16Days
मुक्ति
आवाज
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
बाल एवं महिला हिंसा विरोधी अभियान
UNITE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
#Genderequityinitiatives2k23 | #NoExcuse | #16Days
7 Days
7 issue
मुक्ति
अभिया न

बाल दुर्व्यापार के विरुद्ध आवाज का हस्तक्षेप

मध्यप्रदेश में बच्चों के दुर्व्यापार की स्थिति चिंताजनक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष लगभग 40,000 बच्चे अगवा किए जाते हैं, जिनमें से लगभग 11,000 का कोई पता नहीं चलता। राज्य में लड़कियों का दुर्व्यापार विवाह, यौन शोषण, अवैध दत्तक ग्रहण और आपराधिक गतिविधियों हेतु किया जाता है, जबकि लड़कों का मुख्य रूप से बालश्रम और भीख मांगने जैसे शोषण के रूपों में इस्तेमाल होता है। कई बार इन बच्चों को सशस्त्र समूहों में भी भर्ती किया जाता है।

इन्हीं गंभीर परिस्थितियों के मद्देनज़र आवाज द्वारा 2021 से "परवाह" परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जो बाल दुर्व्यापार के विरुद्ध समुदाय आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। यह परियोजना फिलहाल मध्यप्रदेश के चार ज़िलों—बालाघाट, बैतूल, सागर और छतरपुर में संचालित हो रही है। बालाघाट के बैहर, बैतूल के भैंसदेही, छतरपुर के बक्सवाहा और सागर के बीना ब्लॉक की दस अत्यंत संवेदनशील पंचायतों में जमीनी काम किया जा रहा है। वहीं, राज्यस्तर पर समन्वय और नीति संवाद का कार्य भोपाल से हो रहा है। इसमें चाइल्डलाइन, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, न्याय बोर्ड, श्रम विभाग, मीडिया, जिला एवं जनपद पंचायतों सहित अनेक हितधारकों की सक्रिय भूमिका है।

वर्ष 2022 से आवाज द्वारा एक और महत्वपूर्ण पहल "सजग" के रूप में शुरू की गई है, जो बाल दुर्व्यापार के स्रोत और पारगमन (ट्रांजिट) बिंदुओं पर केंद्रित है। चूँकि मध्यप्रदेश के 8 रेलवे जंक्शन और 6 राष्ट्रीय राजमार्ग बच्चों की आवाजाही और दुर्व्यापार के मार्ग बनते जा रहे हैं, यह

जंक्शन और 6 राष्ट्रीय राजमार्ग बच्चों की आवाजाही और दुर्व्यापार के मार्ग बनते जा रहे हैं, यह परियोजना इन स्थानों पर कार्यरत है। मंडला जिले के बिछिया ब्लॉक की आठ पंचायतों, कटनी रेलवे जंक्शन क्षेत्र की पाँच पंचायतों और दो शहरी बस्तियों, तथा बीना जंक्शन की दस पंचायतों और दो शहरी बस्तियों में यह परियोजना लागू है। इसका उद्देश्य बच्चों को रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर दुर्व्यापार से बचाना, स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाना और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना है।

इन दोनों पहलों के माध्यम से आवाज राज्य में बाल दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु बहुस्तरीय प्रयास कर रहा है, जिसमें समुदायों को सजग बनाना,प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय करना, और जोखिम क्षेत्र चिन्हित कर सशक्त हस्तक्षेप करना शामिल है। यह प्रयास मध्यप्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम है।

इन दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत आवाज द्वारा निम्न प्रकार की गतिवधियां की जा रही हैं|

1. सामुदायिक जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियाँ-

1.1 ग्रामसभा में हस्तक्षेप: बाल दुर्व्यापार जैसे मुद्दों पर आमतौर पर ग्रामसभाओं में कोई चर्चा नहीं होती। हमने इसे अवसर मानते हुए 109 ग्रामसभाओं में बच्चों के मुद्दों को एजेंडा का हिस्सा बनवाया। जिलास्तरीय समन्वय से यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामसभा में इस विषय पर प्रस्ताव पारित हो। साथ ही, हर पंचायत में बाल संरक्षण समितियाँ गठित की गईं जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रयास करेंगी।

1.2 नुक्कड़ नाटक अभियान: बाल दुर्व्यापार पर समुदाय को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित किशोरों की टीमों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। इन नाटकों के ज़रिए बाल सुरक्षा के मुद्दे लोगों तक सहज भाषा में पहुँचाए गए।

कुल **81** नाटक आयोजित किए गए जिनमें लगभग **4173** लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी रही। इन अभियानों से गाँवों और कस्बों में चर्चा का माहौल बना।

1.3 बाल अधिकार सप्ताह एवं सखी उत्सव: हर साल **14 से 21 नवम्बर** के बीच बाल अधिकार सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान रैलियाँ, बच्चों की सभाएँ, मेंहदी-रंगोली प्रतियोगिता जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

इस वर्ष 'सखी उत्सव' के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की किशोरियों के साथ संवाद और भागीदारी बढ़ाई गई। कुल **187** पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में **3997** से अधिक लोग शामिल हुए। सखी उत्सव पर विस्तृत रिपोर्ट नीचे संलग्न है|

1.4 दीवार लेखन अभियान: बाल दुर्व्यापार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दृश्यात्मक माध्यम से संदेश पहुँचाने के लिए दीवार लेखन किया गया। यह अभियान **125** गाँवों में चलाया गया, जहाँ प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर **1347** दीवारों पर सन्देश और स्लोगन लिखे गए। इस प्रक्रिया के ज़रिए अनुमानतः **8773** लोगों तक सीधे संदेश पहुँचा।

1.5 NSS कैंप में सहभागिता: NSS कैंपों में किशोर/युवा वालंटियर्स को बाल सुरक्षा विषयों से जोड़ने का प्रयास किया गया। सांप-सीढ़ी जैसे खेलों, पोस्टर और चर्चा सत्रों के माध्यम से विषय को रोचक बनाया गया।

जिला व ब्लॉक स्तर के कॉलेजों की **109** इकाइयों में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें **6774** वालंटियर्स शामिल हुए। ये वालंटियर्स आगे समुदाय में संदेशवाहक बन सके।

2. बाल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण और सशक्तिकरण

2.1 बाल संरक्षण समितियाँ (PCPC): पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को कानूनी मान्यता तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर वे सक्रिय नहीं थीं। पंचायत चुनाव के बाद यह अवसर बना कि इन्हें औपचारिक रूप से सक्रिय किया जाए। हमने पंचायतों में समिति का पुनर्गठन कराया और इसे ग्रामसभा में पारित करवा कर स्थानीय स्वीकृति दिलाई।

वर्तमान में कुल **679** सदस्य इन समितियों में सक्रिय हैं। इसके अलावा बाल संरक्षण समितियों का एक महा सम्मलेन आयोजित किया, जिस पर विस्तृत रिपोर्ट नीचे बॉक्स में दी जा रही है|

2.2 बाल कैबिनेट में नवाचार: मध्यप्रदेश के स्कूलों में पहले से ही बाल कैबिनेट की व्यवस्था है। हमने इसमें एक नवाचार करते हुए 'बाल संरक्षण मंत्री' नामक नया पद जोड़ा। इससे विद्यालयों में बाल संरक्षण से जुड़े विषयों पर संवाद आसान हुआ।

यह प्रयोग **18** स्कूलों में किया गया और बच्चों में अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी।

2.3 ब्लॉक स्तरीय समितियाँ (BCPC): BCPC को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया गया, ताकि ज़िला और पंचायत के बीच की कड़ी मजबूत हो। जहाँ ये समितियाँ नहीं थीं वहाँ गठन कराया गया, और जहाँ थीं वहाँ उन्हें सक्रिय किया गया। इस परियोजना के तहत 117 BCPC सदस्यों के साथ सीधे काम किया गया, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आई।

3. हितधारकों के साथ समन्वय और प्रशिक्षण

3.1 विभिन्न विभागों के साथ संवाद: इस वर्ष बाल सुरक्षा पर सरकारी विभागों की संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से संवाद व प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस, GRP, RPF, महिला एवं बाल विकास, DLSA आदि के साथ समर्पित कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। कुल 09 प्रशिक्षणों में 487 अधिकारियों/कर्मियों को शामिल किया गया। इससे बाल सुरक्षा को एक संयुक्त उत्तरदायित्व की तरह देखा गया।

3.2 रेलवे और पंचायत स्तर के हितधारकों का प्रशिक्षण: बाल दुर्व्यापार में स्थानीय परिवहन, रेलवे स्टेशन और पंचायत स्तर के लोग अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए कुली, ऑटो चालकों, सफाईकर्मियों, टीटीई आदि को सजग बनाने हेतु प्रशिक्षण किए गए। इसी तरह पंचायत सचिव, कोटवार, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा-उषा आदि को भी जोड़ा गया। कुल 129 हितधारकों को इस अभियान में प्रशिक्षित किया गया।

4. पुनर्वास, हस्तक्षेप और अनुभवों का आदान-प्रदान

4.1 बचाव व हस्तक्षेप कार्य: बाल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे कि गुमशुदगी, बाल विवाह, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार आदि पर हमारी टीम ने सीधा हस्तक्षेप किया। कुल 140 मामलों में कार्रवाई की गई जिसमें बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई। स्थानीय पुलिस व बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय कर इन मामलों में गंभीरता लाई गई|

4.2 पलायन रजिस्टर पर कार्य: स्थानीय प्रवासियों का डेटा दर्ज न होने के कारण बच्चों के गुम होने की सही तस्वीर नहीं बनती। इस चुनौती के समाधान हेतु 53 पंचायतों में प्रवास रजिस्टर रखवाया गया और कोटवारों को प्रशिक्षित किया गया। इससे समुदाय को अधिक जिम्मेदारी से कार्य में जोड़ा जा सका|

4.3 अनुभव आधारित अध्ययन यात्रा: टीम के एक दल ने बनारस और आसपास के ज़िलों में काम कर रही संस्था के पास जाकर कार्यपद्धतियों को देखा। समुदाय स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन, आज़ाद शक्ति समूह की अवधारणा और सरकारी योजनाओं से समन्वय जैसे मॉडल समझे गए। यह अनुभव हमारी टीम के लिए व्यावहारिक और प्रेरणादायक रहा।

मदारी टोला, कटनी : बदलाव की एक शुरुआत

कटनी ज़िले का मदारी टोला, एक पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बस्ती है, जहाँ मदारी समुदाय पीढ़ियों से भालू और बंदरों को नचाने की कला से अपनी आजीविका चलाता रहा है। पर 2003 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद, उनकी पारंपरिक रोज़ी-रोटी छिन गई। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों से यह समुदाय और दूर होता चला गया। बच्चों की स्थिति और भी चिंताजनक थी — वे शिक्षा से कटे हुए थे, भीख मांगते थे, नशे की चपेट में आ रहे थे और शोषण के खतरे में थे।

इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए **आवाज जनकल्याण समिति** ने मदारी टोला में एक गतिविधि केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र बच्चों के लिए एक सुरक्षित, रचनात्मक और सीखने वाला वातावरण प्रदान करता है। शुरुआत में यह कार्य आसान नहीं था — केंद्र के लिए स्थान ढूँढ़ना, उसे साफ-सुथरा बनाना और समुदाय का विश्वास जीतना एक चुनौती था। लेकिन स्थानीय महिलाओं के सहयोग और संस्था की प्रतिबद्धता से यह सपना साकार हुआ।

केंद्र में बच्चों के लिए रोज़ाना खेल, चित्रकला, नृत्य, कहानी और संवाद आधारित गतिविधियाँ होती हैं। ये गतिविधियाँ न केवल बच्चों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, सफाई की आदतें और शिक्षा के प्रति रुचि भी विकसित करती हैं। पहले जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब वे नियमित रूप से स्कूल और आंगनबाड़ी से जुड़ने लगे हैं।
हालांकि चुनौतियाँ अभी भी हैं — अलग-अलग उम्र के बच्चों की ज़रूरतें अलग हैं, और अभिभावकों से सतत संवाद ज़रूरी है। संस्था का अगला कदम है बच्चों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और अधिकारों के बारे में जानकारी देना, और समुदाय के लिए स्वसहायता समूह व रोज़गार के अवसर बढ़ाना।

मदारी टोला का यह केंद्र सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक उम्मीद है — जो यह दिखाता है कि सही दिशा, संवाद और सहयोग से बदलाव मुमकिन है।

पीसीपीसी महासम्मेलन: बाल संरक्षण के प्रति सामूहिक समर्पण

प्रदेश में बाल संरक्षण को मज़बूती प्रदान करने हेतु बाल संरक्षण पंचायत समिति (PCPC) की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। पंचायत स्तर पर बच्चों से जुड़े मुद्दों की पहचान, समाधान और समुदाय को जागरूक करने के लिए PCPC एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी उद्देश्य से आवाज संस्था और महिला एवं बाल विकास विभाग ने मध्यप्रदेश के छह जिलों—बैतूल, मंडला, बालाघाट, सागर, कटनी और छतरपुर—में पीसीपीसी महासम्मेलन आयोजित किए।

इन जिलों की 53 पंचायतों और 4 शहरी बस्तियों में संस्था ने पीसीपीसी के गठन, ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कराने और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की। महासम्मेलन का उद्देश्य पंचायत स्तरीय समितियों को एक मंच पर लाकर उनके अनुभव साझा करने, बाल संरक्षण के क्षेत्र में समन्वय और सामूहिक दृष्टिकोण को विकसित करना था।

महासम्मेलन में बाल अधिकारों पर चर्चा, पीसीपीसी की भूमिका की व्याख्या, और अतिथियों का संबोधन हुआ। इसमें 631 सदस्य शामिल हुए, जिनमें 355 महिलाएँ और 276 पुरुष थे। इस आयोजन के दौरान उत्कृष्ट समितियों को सम्मानित किया गया और लैटरहेड/बैज भी वितरित किए गए।

हालांकि, आयोजन में कुछ चुनौतियाँ सामने आईं, जैसे गर्मी और कृषि कार्य के कारण उपस्थिति में कमी, प्रारंभिक अड़चनें और समितियों की निष्क्रियता। फिर भी, इस सम्मेलन ने कई सकारात्मक परिणाम दिए। महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट हुआ कि वे बाल संरक्षण के प्रति गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से यह उम्मीद जगी कि बच्चों से जुड़े मुद्दे अब पंचायतों के विकास एजेंडे में स्थान पा सकते हैं।

इस महासम्मेलन से यह भी समझने को मिला कि स्थानीय समितियाँ, यदि सशक्त हों, तो वे बाल संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ पलायन और बाल दुर्व्यापार जैसी समस्याएँ अधिक हैं, वहाँ की समितियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि वे परदेश में फंसे बच्चों को वापस लाने की प्रक्रिया में शामिल रही हैं। कुल मिलाकर, यह महासम्मेलन बाल संरक्षण के प्रति सामूहिक चेतना और समर्पण का प्रतीक था, और अगर इन समितियों को निरंतर प्रशिक्षण और समन्वय मिलता रहे, तो यह प्रयास एक स्थायी और प्रभावी मॉडल के रूप में उभर सकता है।

“मैं हूँ अभिमन्यु” अभियान

महिला सुरक्षा हेतु मध्यप्रदेश पुलिस का जनसहभागिता आधारित विशेष अभियान

“मैं हूँ अभिमन्यु” अभियान मध्यप्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा इकाई द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पुरुषों और युवाओं को महिला सम्मान और लैंगिक समानता की दिशा में भागीदार बनाना है। इस अभियान ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, जैसे नशा, दहेज, अश्लीलता, भ्रूण हत्या और लिंगभेद, के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मर्दानगी की रूढ़ छवियों को चुनौती देना और महिला सुरक्षा के विषय में एक सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास कराना था।

आवाज, जो पहले भी मध्यप्रदेश पुलिस के “चेतना” और “सम्मान” अभियानों में सहयोग कर चुकी है, ने इस बार “मैं हूँ अभिमन्यु” अभियान में राज्य और जिला स्तर पर समन्वय किया और छह जिलों—बैतूल, मंडला, कटनी, बालाघाट, सागर और छतरपुर—में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। अभियान के तहत आवाज ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष संवाद, नाटक, पोस्टर गतिविधियाँ, गीत और चर्चाओं का आयोजन किया, जिससे यह अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से पहुंच सका।

इस अभियान के दौरान कुल 87 गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें 64 स्कूलों, 9 महाविद्यालयों, 37 पंचायतों/गांवों और 4 शहरी बस्तियों में कार्यक्रम हुए। अभियान में 11,840 पुरुषों और लड़कों, तथा 8,273 महिलाओं और लड़कियों ने भाग लिया। इसके अलावा भोपाल में विश्वविद्यालय स्तरीय 200 विद्यार्थियों ने भी अभियान में सहभागिता की।

अभियान ने यह संदेश दिया कि महिला सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज की सहभागिता से संभव है। पुरुषों की सक्रिय भागीदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण है और यह एक प्रभावी समाधान की ओर बढ़ने में मददगार है।

कोविड रिस्पोंस

"कवच"

कोविड प्रभावित परिवारों के लिए आजीविका पुनर्निर्माण का एक प्रयास

कोविड-19 महामारी ने न केवल स्वास्थ्य बल्कि समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी गहरा आघात किया। खासकर दूसरी लहर में कई परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्य को खो दिया, जिससे वे तत्काल संकट में आ गए। इसी दौर में यह महसूस किया गया कि तात्कालिक राहत के साथ-साथ, दीर्घकालीन आजीविका का सहारा देना भी उतना ही आवश्यक है।

'कवच' ऐसी ही एक पहल है, जिसे 'आवाज' संस्था ने 'DASRA' के सहयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल एवं भोपाल नगर निगम के समन्वय से वर्ष 2022-23 के दौरान संचालित किया। इस पहल का मूल उद्देश्य था — कोविड से प्रभावित युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से फिर से खड़ा करने में मदद करना।

इस प्रयास के तहत आवाज ने भोपाल जिले के 19 परिवारों को चिन्हित किया, जिनमें से 13 परिवारों को प्राथमिकता देकर उनके हुनर और आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री आधारित सहायता दी गई। यह सहायता सीधे नकद राशि के स्थान पर लगभग 20,000 रुपये मूल्य की कार्यशील सामग्री के रूप में दी गई ताकि वह उनके छोटे व्यवसाय या स्वरोजगार को शुरू करने में मददगार हो।

इस रिपोर्ट में उन्हीं 13 परिवारों के चयन, प्रक्रिया, हस्तक्षेप और संभावित प्रभाव का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत किया| गया है। इसमें न तो सिर्फ लाभार्थियों की गिनती की गई है और न ही केवल वितरण का विवरण दिया गया है, बल्कि यह समझने की कोशिश की गई है कि ऐसी पहलें वंचित समुदायों के जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन कैसे ला सकती हैं।

‘कवच’ की विशेषताएं:

- सहायता के इच्छुक युवाओं से आवेदन लिए गए|
- प्रस्तावों के आधार पर उनकी कार्ययोजना का आकलन किया गया|
- चयनित युवाओं को जरूरत की सामग्री प्रदान की गई|
- सभी गतिविधियों की निगरानी और फॉलोअप संस्था द्वारा किया गया|

यह पूरी प्रक्रिया न केवल युवाओं की जीविका बहाली का माध्यम बनी, बल्कि एक आश्वासन भी बनी कि सामाजिक सहयोग और सही दिशा में किया गया हस्तक्षेप, जीवन में उम्मीद का उजाला बन सकता है।

पूर्व-प्राथमिक पोषण और शिक्षा

पूर्व-प्राथमिक पोषण और शिक्षा परियोजना और एक समेकित हस्तक्षेप

कोविड-19 महामारी के बाद बाल स्वास्थ्य और पोषण को लेकर गंभीर चिंताएँ सामने आईं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के चार गाँव—मुरेंदा, हीरापुर, जुवाडीतोला और कडला—ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ बच्चों की पोषण स्थिति कमजोर पाई गई। इन क्षेत्रों में पाँच वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण, वज़न और ऊँचाई में कमी जैसे संकेत स्पष्ट थे। इसी परिप्रेक्ष्य में आवाज जनकल्याण समिति ने 'जीव दया फाउन्डेशन' के सहयोग से "पूर्व-प्राथमिक पोषण एवं शिक्षा परियोजना" की शुरुआत की।

लक्षित समुदाय:

इस परियोजना के केंद्र में 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु के 200 बच्चे रहे, जो अनुसूचित जनजाति, दलित और अत्यंत गरीब परिवारों से आते हैं। इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमजोर है, और इन बच्चों तक पोषण एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की पहुँच सीमित रही है।

प्रमुख क्रियान्वयन और हस्तक्षेप: इस परियोजना के अंतर्गत निम्न तरह की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं|

1. पोषण सुरक्षा: बच्चों को प्रतिदिन 150 मिलीलीटर दूध (Amul Spray Milk Powder के माध्यम से तैयार) और पौष्टिक बिस्किट उपलब्ध कराए गए। यह कार्य सप्ताह में 6 दिन (सोमवार से शनिवार) संचालित किया गया।

2. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा: दूध वितरण के पश्चात् बच्चों को स्थानीय भाषा में वर्णमाला, गिनती, रंग और आकारों की पहचान जैसे बुनियादी शिक्षा विषयों पर एक घंटे का सत्र संचालित किया गया।

3. सामुदायिक भागीदारी: गाँव स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र या सामुदायिक भवन को केंद्र के रूप में उपयोग किया गया। स्थानीय स्वयंसेवकों (महिलाओं) को प्रशिक्षण देकर दूध बनाने, वितरण, बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने और शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

4. बुनियादी आवश्यकताएँ और निगरानी: बच्चों को एक सेट कपड़े, जूते और स्टील गिलास प्रदान किए गए। दैनिक उपस्थिति, दूध वितरण, और बच्चों की लंबाई-वज़न से जुड़े आंकड़े नियमित रूप से दर्ज किए गए और समय-समय पर रिपोर्ट किए गए।

प्राथमिक प्रभाव: इस पूरी प्रक्रिया से बच्चों में निम्न प्रमुख प्रभाव सामने आये|

- **स्वास्थ्य सुधार:** प्रारंभिक चार माह की अवधि में ही अधिकांश बच्चों के वजन और लंबाई में सकारात्मक बदलाव देखे गए। इससे यह संकेत मिला कि नियमित दूध और पौष्टिक आहार की निरंतरता बच्चों के शारीरिक विकास को सीधे प्रभावित करती है|

- **पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में रुचि:** बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी में वृद्धि हुई। समुदाय के अभिभावकों ने बच्चों को प्रतिदिन समय पर केंद्र लाने की जिम्मेदारी निभाई|

- **साफ-सफाई और आदतों में सुधार:** बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे नाखून काटना, बाल सँवारना, साफ कपड़े पहनना इत्यादि में उल्लेखनीय सुधार हुआ। स्वयंसेवकों और JDF टीम की सतत निगरानी ने स्वच्छता को प्राथमिकता में बनाए रखा|

उपलब्धियां और सम्मान

इस वर्ष मध्यप्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना जी द्वारा बाल/मानव दुर्व्यापार पर काम करने हेतु संस्था निदेशक श्री प्रशांत दुबे को सम्मानित किया|

सम्मान प्राप्त करते आवाज़ के साथी

बैतूल

- चेतना अभियान प्रशस्ति पत्र
- अभिमन्यु अभियान प्रशस्ति पत्र
- माननीय सांसद महोदय,शिक्षा मंत्री महोदय व विधायक महोदय द्वारा सम्मान

सागर

- चेतना अभियान प्रशस्ति पत्र
- अभिमन्यु अभियान प्रशस्ति पत्र
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मान

बालाघाट

- चेतना अभियान प्रशस्ति पत्र
- अभिमन्यु अभियान प्रशस्ति पत्र
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मान
- माननीय सांसद महोदय व विधायक महोदय द्वारा सम्मान

छतरपुर

- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सम्मान

इसके अलावा संस्था के जिला समन्वयक व अन्य सदस्य इस वर्ष संप्रेक्षण गृह ऑडिट समिति, खंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति, श्रम विभाग – टॉस्क फ़ोर्स, जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DLSA), सलाहकार समिति (रेलवे), AHTU – समिति (पुलिस विभाग), जिला स्तरीय श्रम कल्याण निगरानी समिति आदि में सदस्य के रूप में शामिल किये गए हैं|

हमारे सहयोगी

Azim Premji Foundation

phf Paul Hamlyn Foundation

dasra

unicef

JIV DAYA FOUNDATION Dallas Texas

SAFE AND HAPPY CHILDREN

प्रेस कतरन

शासकीय महाविद्यालय भैसदेही में अभिमन्यु अभियान कार्यक्रम का हुआ क्रियान्वयन

ताप्ती दर्शन, भैंसदेही

पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश में अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से पुरुषों में लैंगिक समानता की सोच लाना एवं महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन लाना है। इसी संबंध में शुक्रवार शासकीय महाविद्यालय भैसदेही में राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस.सी.बोहिते के मुख्य आतिथ्य में अभिमन्यु अभियान का क्रियान्वयन किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले द्वारा अभिमन्यु अभियान का उद्देश्य बताकर अभिमन्यु अभियान के सभी पहलुओं पर छात्रों के साथ संवाद किया गया। जिसके पश्चात लैंगिक समानता, बाल तस्करी एवं अन्य महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच संबंधित लघु फिल्म दिखाई गई एवं छात्रों से अभिमन्यु अभियान की प्रश्नावली भी हल करवाई गई । श्री बोहिते द्वारा बताया गया कि विशेषकर पुरुषों में बाल्यावस्था से ही लैंगिक समानता की सोच होना चाहिए, घर के कार्यों में पुरुष वर्ग को हाथ बटाना चाहिए, उन्होंने बताया की अभी भी दिहाड़ी मजदूरी में असमानता है, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मजदूरी कम होती है, इन असमानताओं के कारण थाने में बहुत प्रकरण भी दर्ज होते है। श्री बोहिते द्वारा बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर मैं भी ग्रह कार्यों मे मदद करता हु और सभी को करना भी चाहिये। आवाज जिला समन्वयक भूपेंद्र लोखंडे एवं विनीत धोटेकर द्वारा भी लैंगिक समानता हेतु छात्रों को प्रेरित किया गया एवं अंत मे श्री बोहिते द्वारा शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी एवं आवाज द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस. सी. बोहिते, प्राचार्य जितेन्द्र कुमार दवंडे, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी शैलेन्द बारगे, प्रोफेसर नीलिमा धाकड़ एवं समस्त महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

आज हम सभी लोगों को रूढ़ीवादी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत: विधायक

मध्यप्रदेश मिरर » बैतूल

आयोजन — महिला सुरक्षा शाखा एवं आवाज के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित

अभिमन्यु अभियान के सभी पहलुओं पर मंच से विस्तार से दी जानकारी

बेतूल टॉक्स, भैंसदेही

पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा पूरे मध्यप्रदेश में मानव तस्करी के विरोध में विश्व दिवस के अवसर पर 1 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा । जिसमे विशेषकर पुरुषो में बाल्यावस्था से ही लैंगिक समानता की विचारधारा बने, लैंगिक भेदभाव दूर हो । हर क्षेत्र में लैंगिक समानता हो । समाज की महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन हो । इसी संबंध में बैतूल पुलिस अधीक्षक चौधरी एवं महिला सुरक्षा शाखा उप अधीक्षक पल्लवी गौर के सहयोग एवं मार्गदर्शन में आवाज द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है । इसी तारतम्य में आज दिनांक 2 अगस्त 2023 को भैसदेही के सी. एम. राइज स्कूल में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस. सी. बोहिते के मुख्य आतिथ्य में जागरूकता कार्यक्रम किया गया , जिसमें श्री बोहिते द्वारा छात्रों को लैंगिक समानता हेतु प्रेरित किया गया एवं ऊर्जा डेस्क भैंसदेही की सब इंस्पेक्टर प्रीति पाटिल द्वारा अभिमन्यु अभियान के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी । इसी सम्बन्ध में आवाज जिला समन्वयक श्री भूपेंद्र लोखंडे द्वारा भी अभिमन्यु अभियान का उद्देश्य बताकर छात्रों को संबोधित किया गया । कार्यक्रम के अंत में लैंगिक समानता संबंधित लघु फिल्म दिखाई गई एवं श्री बोहिते द्वारा सभी छात्रों एवं स्कूल स्टाफ को शपथ दिलाई गई । कार्यक्रम के आयोजन में स्कूल प्राचार्य श्री संदीप राठौर की विशेष भूमिका रही । कार्यक्रम में प्राचार्य के साथ मंच संचालक श्री योगेश टीटारिया , श्री अरुण कुमार वम , श्रीमती मंदा ठाकरे, श्रीमती संगीता दु आवाज से विनित धोटेकर, संगीता ए स्टाफ उपस्थित रहा ।

प्रेस कतरन

स्वदेश

कार्यक्रम | बरकतउल्ला विवि में मप्र पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में 'मैं हूं अभिमन्यु' कार्यक्रम आयोजित

हम जब सीखें उसी दिन से होती है नई शुरुआत: श्रीवास्तव

स्वदेश संवाददाता, भोपाल

शुक्रवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में मप्र पुलिस द्वारा के तत्वाधान में 'मैं हूं अभिमन्यु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एआईजी शालिनी दीक्षित, पिंकी जीवनानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतु ठाकुर भी उपस्थित रहीं। आवाज की टीम और एनएसएस से राहुल सिंह परिहार, समाज शास्त्र विभाग के डॉ. शशांक ठाकुर व अन्य प्राध्यापक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा साथी उपस्थित रहे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम जब सीखें उसी दिन से एक नई शुरुआत की जा सकती है। हम 'अभिमन्यु अभियान के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि पूरा प्रदेश महिला हिंसा

के खिलाफ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो। यह बात शुक्रवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा और आवाज के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद सभागार में 'मैं हूं अभिमन्यु अभियान व मुख्यमंत्री की घोषणा संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा) प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कही।

अभिमन्यु बनें और महिला सुरक्षा को प्रधानता दें: कुलपति जैन

आवाज के निदेशक प्रशांत दुबे ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. पवन मिश्रा ने स्वागत वक्तव्य रखा और मुख्यमंत्री की घोषणा के बारे में बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और उन्होंने यह सार्थक पहल की है। बरकतउल्ला विवि के कुलपति प्रो. एसके जैन ने कहा कि आह्वान करता हूं कि सभी अभिमन्यु बनें और महिला सुरक्षा में अपना योगदान दें। मैं मानता हूँ कि यह सही समय है कि अब हम सामने आयें और हम महिला सुरक्षा को प्रधानता दें।

नैतिक शिक्षा को प्रधानता देने की आवश्यकता

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. आईके मंसूरी ने कहा कि आज का अभियान प्रासंगिक है, हमें नैतिक शिक्षा को प्रधानता देने की जरूरत है। हम यह कोशिश करें कि सामने आयें और अपनी ओर से पहल करें। आभार समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. रूचि घोष ने किया। इस अवसर पर दो छात्रों अपराजेय चौरसिया और पहल ने भी अपनी बात रखी। अभिमन्यु अभियान का गीत शाहिद मासूम ने अपनी टीम के साथ रखा। कार्यक्रम का सफल संचालन आवाज के राज्य समन्वयक नितेश व्यास ने किया।

Page No. 4 Aug 12 2023
Bhopal Main Edition
Powered by: erelego.com

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में 'अभिमन्यु' अभियान कार्यक्रम का आयोजन

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने का सही समय: जैन

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

मैं अभिमन्यू हूं और आह्वान करता हूं कि सभी अभिमन्यु बनें और महिला सुरक्षा में अपना योगदान दें। यह बात बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेश कुमार जैन ने 'अभिमन्यु' अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। यह कार्यक्रम बीयू के अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग, मप्र पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा तथा आवाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

कुलपति ने कहा मैं मानता हूं कि यह सही समय है कि अब हम सामने आयें और हम महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में पुरुषों की भूमिका पर बात करने की जरूरत है और मैं सभी का आह्वान करता हूं कि इस अभियान से जुड़ें।

कार्यक्रम में शामिल अतिथि और छात्र-छात्राएं।

सीखने की कोई उम्र नहीं होती: कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पुलिस की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा) प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम जब सीखें उसी दिन से एक नई शुरुआत की जा सकती है। हमने इस अभियान के माध्यम से समूचे मध्यप्रदेश में महिला हिंसा के खिलाफ एक सार्थक शुरुआत की है।

उन्होंने कहा कि हम एक आदर्श बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं कि समाज में बराबरी हो, हमें मानसिकता बदलने और देवी बनाकर पूजने की बजाय बराबरी का मौका देने की जरूरत है। कार्यक्रम को कुलसचिव डॉ. आई के मंसूरी ने भी संबोधित किया।